

पत्र संख्या-1प्र10आ0-2-0-17/2001 1004 /आ0प्र01

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8/7/05

विषय-नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यो को पारदर्शी बनाने एवं न-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु नगर क्षेत्र के लिए निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु)

- (I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति- अध्यक्ष
- (II) अध्यक्ष जिला परिषद/महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निकाय- सदस्य
- (III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद- सदस्य
- (IV) प्रखंड प्रमुख- सदस्य
- (V) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य
- (VI) जिला पदाधिकारी- सदस्य सचिव
- (VII) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी- सदस्य

वर्तमान राष्ट्रपति शासन अवधि में प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के स्थान पर प्रमंडलीय आयुक्त जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु) के अध्यक्ष होंगे।

2. नगर राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

- (I) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष- अध्यक्ष
- (II) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य- सदस्य
- (III) विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी)- सदस्य
- (IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य

Amor:DDMI (Anu-nirani samiti)

(V) नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य सचिव।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा अन्न, नकद राशि आदि का नगर वार्ड सदस्य और नगर वार्ड सदस्य के पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में नगर के मुहल्लों में वितरण किया जायेगा।

3. वितरण की जानेवाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नगद राशि के संबंध में पूरी सूचना नगरपालिका/नगर निकाय के सूचना-पट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा वितरण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी, द्वारा मुद्रित पत्रों के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श नगर निकाय/नगरपालिका स्तर पर नगर क्षेत्र राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति एवं जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जायें।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी से प्रकाशित/प्रचारित कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव

✓